

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन (करौली)

पीठासीन अधिकारी :- हेमराज गुर्जर (आरएएस)

प्रकरण संख्या:- 205/2011

दायर दिनांक:- 20.12.2011

जीसीएमएस नं. 2011/00339

उनवान

जयनारायण पुत्र देवपाल जाति मीना निवासी विनेगा तहसील हिण्डौन जिला करौली  
राजस्थान

—वादी

बनाम

बाबूलाल पुत्र रामजीलाल जाति मीना निवासी विनेगा तहसील हिण्डौन जिला  
करौली

—प्रतिवादीगण-12

दावा बाबत स्थायी निषेधाज्ञा

निर्णय

दिनांक:- 8-7-24

संक्षिप्त मामला इस प्रकार है कि उक्त प्रकरण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 188 के तहत दर्ज किया गया था उक्त प्रकरण में वादीगण एव वादीगण वकील आज दिनांक को उपस्थित नहीं प्रकरण में बार-बार वादीगण एव वादीगण वकील को आवाज दिलवाई गयी आवाज दिलवाने के बाबजूद वादीगण एव वादीगण वकील उपस्थित नहीं। जिससे जाहिर होता है कि वादीगण एव वादीगण वकील प्रकरण को आगे चलाने में रुचि नहीं ले रहे हैं। अतः मुकदमा न0 205/2011 जयनारायण बनाम बाबूलाल अदम हाजिरी व अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।

यह निर्णय आज दिनांक 08.07.2024 को खुले न्यायलय में लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(हेमराज गुर्जर)

उपखण्ड अधिकारी  
हिण्डौन, जिला करौली

उपखण्ड अधिकारी

